

Keep one copy in
Dir BBAS file
Jt. Dir. (A) 13-9-22

पत्रांक -3/एम०-60/2022सा०प्र०.1.5.498/
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ० बी० राजेन्द्र,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 1-9-2022

विषय- बिहार सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिए निर्धारित कार्यावधि एवं भोजनावकाश का अनुपालन तथा Biometric Attendance के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प ज्ञापांक-3450 दिनांक-02.12.2006, संकल्प ज्ञापांक-4754 दिनांक-31.12.2007 एवं परिपत्र संख्या-2462 दिनांक-30.04.2008 द्वारा बिहार सरकार के विभागों/कार्यालयों में साप्ताहिक कार्यदिवस एवं कार्य अवधि के संदर्भ में संसूचित निम्नांकित निर्णय सम्प्रति प्रभावी है-

- (क) 05 दिवसीय कार्य सप्ताह वाले विभागों/कार्यालयों के लिए-
- (i) कार्य अवधि - पूर्वाह्न 09:30 से अपराह्न 06:00 बजे तक (महिला कर्मियों के लिए अपराह्न 05:00 बजे तक)
 - (ii) भोजन अवकाश- अपराह्न 01:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक।
- (ख) 06 दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों के लिए-
- (i) कार्य अवधि - पूर्वाह्न 10:00 से अपराह्न 05:00 बजे तक (नवम्बर से फरवरी माह तक पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)
 - (ii) भोजन अवकाश- अपराह्न 01:30 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक।

2. गृह विभाग (विशेष शाखा) के पत्रांक-8986 दिनांक-12.08.2022 द्वारा दिनांक-29.08.2022 से विभागों/निदेशालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए Biometric Attendance के माध्यम से उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित करने का निदेश परिचारित किया गया है।

सं कि (9)

02/9/22

40

06/9/22

3397
02/9/22

संयुक्त प्रमुख
06/9/22

2798
06.9.22

3. अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि बिहार सरकार के विभागों/निदेशालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कार्यदिवस में कार्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा गृह विभाग (विशेष शाखा) के निदेशानुसार Biometric Attendance के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित करने का निदेश भी अपने अधीनस्थ को देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(Signature)
31.8.2022

(डॉ० बी० प्रजेन्द्र)

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

ज्ञापांक- वि०प्रा० (I) विविध पार्ट²-04/2016/ 2814

/पटना, दिनांक - 13/9/22

प्रतिलिपि- सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्वद, बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, बी०सी०एस०टी०, पटना/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/सभी राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(Signature)
13.9.22
संयुक्त निदेशक (प्र०),
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक कैमूर

ज्ञापांक :- 357 /कैमूर,

दिनांक :- 13/09/2022

प्रतिलिपि :- संस्थान के सभी व्याख्याताओं/कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(Signature)
13-9-2022
प्राचार्य
राजकीय पोलिटेकनिक,
कैमूर
राजकीय पोलिटेकनिक
कैमूर (भभुआ)

keep one copy in

BBAS file

Prakash
13-9-2022

Agreable in

पत्रांक -3/एम०-60/2022सा०प्र०.16458/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ० बी० राजेन्द्र,
सरकार के प्रधान सचिव।

ई-मेल सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 12.9. 2022

विषय- बिहार सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबन्दी के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या-15498 दिनांक-01.09.2022 द्वारा बिहार सरकार के विभागों/निदेशालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को 05 दिवसीय/06 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली के तहत निर्धारित समय पर Biometric Attendance के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित करने का निदेश परिचारित किया गया है।

2. तत्कालीन कार्मिक विभाग (अब सामान्य प्रशासन विभाग) के परिपत्र संख्या-469 दिनांक-09.07.1975 एवं 675 दिनांक-26.08.1976 द्वारा कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबन्दी के संबंध में कतिपय निदेश भी परिचारित है।

3. कतिपय विभागों/कार्यालयों में ऐसा देखा जा रहा है कि पदाधिकारी/कर्मचारी निर्धारित समय के अनुरूप Biometric Attendance के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं।

4. वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निदेश दिया जाता है कि-
- (i) विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकार (बिहार कार्यपालिका नियमावली की चतुर्थ अनुसूची में आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्राधिकार) की पूर्वानुमति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी को एक महीने में अधिकतम 02 दिन विलम्ब से उपस्थित होने की छूट दी जायेगी।


(ii) यदि कोई पदाधिकारी/कर्मचारी बिना अनुमति के विभाग/कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्धारित समय से 01 घंटा के बाद उपस्थिति दर्ज करता हो तो उनकी आकस्मिक छुट्टी की लेखा में आधे दिन की छुट्टी विकलित की जायेगी।

(iii) किसी पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा यदि विलम्ब से उपस्थिति बार-बार दर्ज किया जाता हो तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।

(iv) सरकार/सक्षम प्राधिकार के निदेश पर कार्यालय अवधि प्रारम्भ होने के पूर्व से माननीय उच्च न्यायालय/किसी अन्य न्यायालय/लोकायुक्त के कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने/राज्य सूचना आयोग/किसी अधीनस्थ कार्यालय आदि में व्यस्तता के कारण विलम्ब से कार्यालय आने की स्थिति बनती है, तो ऐसे विलम्ब की उपेक्षा की जायेगी।

5. अतः बिहार सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबन्दी के संबंध में उपर्युक्त कंडिका-4 में निहित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश अपने अधीनस्थ को देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,


12.9.22

(डॉ० बी० प्रजेन्द्र)

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

ज्ञापांक- वि०प्रा० (I) विविध पार्ट²-04/2016/ 2813 /पटना, दिनांक - 13/9/22

प्रतिलिपि- सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्वद, बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, बी०सी०एस०टी०,पटना/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/सभी राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


प्राचार्य का कार्यालय
राजकीय पोलिटेकनिक कैमूर

संयुक्त निदेशक (प्र०),
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 358 /कैमूर,

दिनांक :- 13/09/2022

प्रतिलिपि :- संस्थान के सभी व्याख्याताओं एवं कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


13-9-22
प्राचार्य
राजकीय पोलिटेकनिक
कैमूर (भमआ)